



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को हुई 14 वर्ष

कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक 02.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 02.09.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 14 वर्ष कठोर कारावास एवम् 10,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना मानपुर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 223/15 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम राजेन्द्र धोबी पुत्र बंशी नि0 फत्तेपुर थाना तालगांव सीतापुर में मानपुर/तालगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 02.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 15 (पाक्सो एक्ट) सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राजेन्द्र धोबी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376 भादवि में 14 वर्ष कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

